(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 20 / 2021

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021 / 165

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

श्री खियाराम पुत्र श्री पुरखाराम जाति जाट(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) निवासी देवनगर जाटों की ढाणियां संतोर खुर्द जौधपुर जिला जौधपुर मैसर्स जय जगदम्बा बीकानेरी स्वीट्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामने, अटरू जिला बारां

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री अरूण सक्सेना खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 09.03.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2020 को मैसर्स जय जगदम्बा बीकानेरी स्वीट्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामने, अटरू जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री खियाराम पुत्र श्री पुरखाराम जाट(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:29:39 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया [illegible] खाद्य पदार्थ मावा(खुला) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर [illegible] दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ मावा[illegible] पर नमूना [illegible] हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना [illegible] जांच हेतु [illegible] की सूचना फार्म नं0 [illegible] की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **मावा(खुला) 01 कि.ग्रा.** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री खियाराम पुत्र श्री पुरखाराम जाट (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को 200/- रूपये (अक्षरे दो सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मावा(खुला) 01 कि.ग्रा.** को खोलकर साफ–सूखे व खाली तपेली में तुलवाकर एक समरूप कर चार नमूना भागों में अलग–अलग कर कॉंच की साफ–सूखी, स्वच्छ शीशीयों में बराबर भरकर, परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1066 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1066 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री खियाराम पुत्र श्री पुरखाराम जाट(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/356 दिनांक 24.12.2020 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 291/PHL/kota/Act/2020/411 दिनांक 04.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते [illegible]च हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मावा(खुला) 01 कि.ग्रा.** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 16:29:39 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स जय जगदम्बा बीकानेरी स्वीट्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामने, अटरू जिला बारां से सूचना चाही गई। मैसर्स जय जगदम्बा बीकानेरी स्वीट्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामने, अटरू जिला बारां द्वारा प्रतिउत्तर में आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 13.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मावा(खुला) 01 कि.ग्रा.** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत एवं बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के विक्रय उप धारा 2(V) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 एवं धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि परिवाद प्रार्थी द्वारा धारा– 26(2)(ग) के अंतर्गत प्रस्तुत किया है जिसका आधार मैसर्स जय जगदम्बा बीकानेरी स्वीट्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामने, अटरू जिला बारां से खाद्य पदार्थ **मावा(खुला)** का नमूना लिया जाना बताया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही नमूना लेने की प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए निर्धारित प्रक्रिया की पालना न कर लिया गया है। उक्त मावा विक्रय के लिए कदापि नहीं था। परिवाद में स्वयं परिवादी ने स्वीट्स की दुकान होना वर्णित किया है। जिसके लिए मिठाई बनाने की प्रक्रिया के अधीन नमूना लिया गया है जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। फर्द निरीक्षण रिपोर्ट पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया जाना हीं प्रमाणित नहीं है। इसमें अप्रार्थी कहाँ का रहने वाला है, पहचान भी दर्ज नहीं है। प्रकरण निरस्तनीय है। फूड एनालिस्ट द्वारा दी गई रिपोर्ट मिथ्या, त्रुटिपूर्ण है। जिस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। परीक्षण प्रयोगशाला एन.बी.एल. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और न हीं खाद्य अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट दिनांक 04.11.2020 में वर्णित सैंपल की जाँच दिनांक 01.11.2020 से 04.11.2020 को दी हुई है परंतु की गई जाँच का कोई परिणाम प्रतिदिन की रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। इस कारण रिपोर्ट पढ़े जाने योग्य नहीं है। रिपोर्ट में परीक्षण के तरीके का कोई वर्णन नहीं है तथा सबस्टैडर्ड पाए जाने का कोई आधार भी दर्ज नहीं है। परिवाद प्रस्तुत करने के लिए दी गई स्वीकृति अभियोजन सक्षम अधिकारी द्वारा मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना जारी की गई है। इस प्रकार प्रकरण संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि कार्रवाई ड्रॉप फरमायी जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक [illegible]/PHL/kota/Act/2020/411 दिनांक 04.11.2020 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को जर्ये प[illegible] किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉ[illegible] उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:29:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि फर्द निरीक्षण रिपोर्ट पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया जाना हीं प्रमाणित नहीं है। जिस पर समस्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि पत्रावली में शामिल समस्त दस्तावेजों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के

हस्ताक्षर है एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार रामचन्दानी की मृत्यु हो चुकी है। फर्द निरीक्षण रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर नहीं होने से यह साबित नहीं होता है कि उक्त समस्त कार्यवाही झूठी है। यह एक मानवीय त्रुटि भी हो सकती है। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मावा(खुला)** जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 291/PHL/kota/Act/2020/411 दिनांक 04.11.2020 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत एवं बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के विक्रय उप धारा 2(v) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 एवं धारा 58 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 10,000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **09.03.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:29:39 IST
Reason: SelfAttested